अनुदान संख्या 75 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 75 – MINISTRY OF POWER

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	11969,52,00	12018,97,00	4737,92,43	-7281,04,57
पूरक	Supplementary	49,45,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7270,60,87
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	2862,16,00	3041,81,00	2354,38,18	-687,42,82
पूरक	Supplementary	179,65,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				686,59,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹728104.57 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹4945.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 61 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹728104.57 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹4945.00 lakhs obtained in August, 2011, November 2011 and March, 2012 and constituted 61 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	2510.00	2372.00	2338.40	-33.60
पु.	R.	-138.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	67330.00	..	..	..
पु.	R.	- 67330.00			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
बिजली	Power				
मू.	O.	1127112.00	472464.13	471454.03	-1010.10
पू.	S.	4945.00			
पु.	R.	-659592.87			

(I) ₹157587.34 लाख का प्रावधान (₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹157487.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम" - ₹67330.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" -

(क) "ग्रामीण विद्युतीकरण - अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" - ₹60000.00 लाख संविदा करने वाले अभिकरणों के साथ लंबित मुद्दों का निपटान न किए जाने, कुछ शर्तों को पूरा न किए जाने, वन एवं रेलवे निकासी के लंबित होने और पूर्वोत्तर एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण थे ।

(I) Provision of ₹ 157587.34 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.34 lakh) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹ 157487.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana(RGGVY)"- ₹67330.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects /schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2801"-

(a) "Rural Electrification- Special Component Plan for Scheduled Castes - Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana(RGGVY)"- ₹60000.00 lakhs-due to unresolved pending issues with Contracting agencies, non-fulfillment of certain conditionalities, pending forest and railway clearances and delay in implementation of ongoing projects in North Eastern and Naxal affected areas .

(ख) ''सामान्य'' -

(i) ''आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण'' - ₹5200.00 लाख विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के कारण थे ।

(ii) अन्य व्यय - राष्ट्रीय विद्युत निधि - ₹24957.00 लाख स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे ।

(II) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग'' के अंतर्गत ₹3329.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, विनियामक सूचना और प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री सेवा के पूरा न होने, कम विदेशी दौरे किए जाने और रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण ₹181.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - विद्युत मंत्रालय'' के अंतर्गत ₹171.60 लाख की बचत (₹2510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने, दिहाड़ी मजदूरों को नियुक्त न किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूर्त रूप न लेने और कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई ।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2801'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन'' -

(क) ''बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण'' - ₹1426.95 लाख की बचत (₹1765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेलवे से अदायगी के लिए मांग प्राप्त न होने और देयताओं का समाधान न होने के कारण हुई;

(ख) ''निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - ₹180.15 लाख की बचत (₹452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''पारेषण और वितरण - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - ₹163.30 लाख की बचत (₹1381.27 लाख के

(b) "General" –

(i) "Transfer to Reserve Fund- Transfer to National Investment Fund"- ₹ 5200.00 lakhs -due to non-achievement of the target of disinvestment.

(ii) "Other Expenditure - National Electricity Fund (NEF)"- ₹24957.00 lakhs - due to late approval of the scheme .

(II) Under Major Head "2801" - "General - Other Expenditure - Central Electricity Regulatory Commission" - funds of ₹3329.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹181.00 lakhs - due to non-completion of Regulatory Information and Management System (RIMS), consultancy service, less foreign tours and non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Power"- saving of ₹171.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2510.00 lakhs) was due to retirement of officers, non-appointment of daily wagers, non-materialisation of training programmes and less number of tours.

(IV) Under Major Head "2801"- savings occurred under the following heads :-

(A) "Thermal Power Generation" –

(a) "Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance" - saving of ₹1426.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1765.00 lakhs) was due to non -receipt of demand for payment from Railways and non-reconciliation of dues.

(b) "Direction and Administration - Central Electricity Authority" - saving of ₹180.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452.00 lakhs); and

(B) "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Central Electricity Authority"- saving

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने, सेवानिवृत्ति के कम मामले होने और यात्रा एवं कार्यालय व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं ।

(गा) ''ग्रामीण विद्युतीकरण'' -

(क) ''आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण'' - ₹291396.00 लाख की बचत (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ख) ''अन्य व्यय - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' - ₹248938.92लाख की बचत (₹472670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने और वन एवं रेलवे निकासी के लंबित होने के कारण हुई ।

(घा) ''सामान्य'' -

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण'' - ₹1481.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2330.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों के लिए हुडा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी न किए जाने और प्रशिक्षण सिम्युलेटर स्थापित किए जाने में धीमी प्रगति होने के कारण हुई ।

(ख) ''अनुसंधान और विकास - केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान'' - ₹9940.83 लाख की बचत (₹0.83 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16340.83 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई ।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

of ₹163.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1381.27 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less retirement cases and requirement of less funds towards travel and office expenses.

(C) "Rural Electrification"-

(a) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment Fund"-saving of ₹291396.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs) was due to non-achievement of the target fixed for disinvestment.

(b) "Other Expenditure - Rural Electrification Corporation - For Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana" - saving of ₹248938.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹472670.00 lakhs) was due to delay in implementation of ongoing projects in North Eastern and Naxal affected areas and pending forest and railways clearances.

(D) "General"-

(a) "Training-National Power Training"- saving of ₹1481.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2330.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-issuance of no objection certificate for construction works from HUDA and slow progress in setting up training simulator.

(b) "Research and Development - Central Power Research Institute"- saving of ₹9940.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16340.83 lakhs including token supplementary grant of ₹0.83 lakh) was due to non-approval of some projects.

(c) "Other Expenditure"-

(i) ''केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - ₹1531.51 लाख की बचत (₹6953.69 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों के बंद कर दिए जाने, परामर्शदाताओं की नियुक्ति और उन्हें अदायगी किए जाने में विलंब होने और रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई ।

(ii) ''ऊर्जा दक्षता ब्यूरो'' - ₹6180.00 लाख की बचत (₹12380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में विलंब होने, कार्यक्रम के अनुमोदन में विलंब होने और कार्यप्रणाली में परिवर्तन की वजह से बचत लैम्प योजना के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iii) ''विद्युत अपील अधिकरण'' - ₹123.58 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और कम दौरे एवं प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई ।

(iv) ''त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम'' - ₹713.44 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भाग-क और ख परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(v) ''ऊर्जा संरक्षण'' - ₹8080.65 लाख की बचत (₹13080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता स्कीम संबंधी आंशिक जोखिम गारंटी निधि, उद्यम पूंजीगत निधि का प्रचालन न किए जाने के कारण हुई ।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹133.13 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख में अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत और 34 प्रतिशत थी ।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹199.17 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - बीईई को विश्व बैंक अनुदान''

(i) "Central Electricity Authority" - saving of ₹1531.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6953.69 lakhs) was due to closure of some schemes, delay in appointment and payment to consultants and non-filling up of vacant posts.

(ii) "Bureau of Energy Efficiency"- saving of ₹6180.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12380.00 lakhs) was due to delay in preparation and submission of Detailed Project Reports, delay in approval of programme and requirement of less funds under Bachat Lamp Yojana owing to change in methodology.

(iii) "Appellate Tribunal for Electricity"- saving of ₹123.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours and training undertaken.

(iv) "Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP)" - saving of ₹713.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow implementation of Part - A & B projects.

(v) "Energy Conservation"- saving of ₹8080.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13080.00 lakhs) was due to non-operationalisation of Partial Risk Guarantee Fund, Venture Capital Fund for Energy Efficiency Scheme under National Mission of Enhanced Energy Efficiency.

(V) Under two heads savings of ₹133.13 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 22 percent and 34 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹199.17 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining

के अंतर्गत ₹4763.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था ।

supplementary grant of ₹4763.00 lakhs under Major Head "2801" - "General - Other Expenditure - World Bank Grant to BEE".

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹68742.82 लाख) नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹17965.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं ।

3. In the capital section of the grant the overall savings (₹68742.82 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹17965.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	8750.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	-8752.00			
मुख्य शीर्ष "4801" बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	305.00			
पू.	S.	17962.00	19363.00	19281.18	-81.82
पु.	R.	1096.00			
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	20340.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	- 20340.00			
मुख्य शीर्ष "6801" बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	Major Head "6801" Loans for Power Projects				
मू.	O.	256821.00	216158.00	216157.00	-1.00
पु.	R.	- 40663.00			

(I) ₹29093.00 लाख का प्रावधान (₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹29092.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" - ₹8752.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) टरिअल पन विद्युत शक्ति निगम के संबंध में कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित किए जाने के कारण थे ।

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज" - ₹20340.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे ।

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "ताप विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम" के अंतर्गत ₹17961.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, कोयला उत्पादन क्षेत्रों की भूमि के अधिग्रहण संबंधी संवितरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, भूमि दरों को अंतिम रूप न दिए जाने/देर से दिए जाने के कारण ₹3218.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं ।

(III) मुख्य शीर्ष "4801" - "सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" के अंतर्गत ₹266.82 लाख की बचत (₹305.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनईआरपीसी, शिलांग में सेना प्राधिकारियों के साथ विवाद की वजह से कार्य के मूर्त रूप न लेने और एसआरपीसी, बेंगलुरू में न्यायिक मामला लंबित होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "6801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(क) "राष्ट्रीय पन विद्युत शक्ति निगम" - ₹41417.00 लाख की बचत (₹81261.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(I) Provision of ₹29093.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs) remained wholly unutilised under three heads; of these ₹29092.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" – "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation"- ₹8752.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) - due to conversion of equity into loan in respect of Turial Hydro Electric Power Corporation.

(B) Major Head "6552" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" - ₹20340.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4801" - "Thermal Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Thermal Power Corporation of India" - funds of ₹17961.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹3218.00 lakhs - due to requirement of less funds towards disbursement for acquisition of land of coal bearing areas and non/late finalization of land rate.

(III) Under Major Head "4801" – "General - Other Expenditure - Central Electricity Authority" - saving of ₹266.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹305.00 lakhs) was due to non-materialisation of work owing to dispute with army authorities in NERPC, Shillong and pending court case in SRPC Bengaluru.

(IV) Under Major Head "6801"- savings occurred under the following heads :-

(A) "Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(a) "National Hydro Electric Power Corporation"- saving of ₹41417.00 lakhs (against the

में) नीम्बू बजगो और किशनगंगा परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

sanctioned provision of ₹81261.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Nimboo Bazgo and Kishanganga Projects.

(ख) ''विद्युत वित्त निगम को कर्ज'' - ₹11171.00 लाख की बचत (₹155560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Loans to Power Finance Corporation"- saving of ₹11171.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹155560.00 lakhs); and

(खा) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम'' - ₹4389.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP)" - saving of ₹4389.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें भाग-क और ख परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं ।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow implementation of Part - A& B projects.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹20812.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4. The above savings were partly (₹20812.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''हाइडल उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - टिहरी जल विकास निगम'' - ₹4499.00 लाख ।

(A) Major Head "4801" - "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Tehri Hydro Development Corporation" - ₹4499.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''6801'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' - ₹16313.00 लाख ।

(B) Major Head "6801" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation"- ₹16313.00 lakhs.